Volume-8, No. 2 Aug.-2021, pp. Hin.18-23

अल्पसंख्यकों के अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों एवं विधियों का एक विश्लेषणः मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में

मिस. अंजुमन, शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश भारत।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय इकाईयों और अल्पसंख्यकों की समस्या भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की समस्या थी। भाषायी अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिखों आदि में जैसे–जैसे राजनीतिक जागरण आया वैसे–वैसे राजनीतिक स्वाधीनता के लिए किए गए राष्ट्रीय आन्दोलन और स्वाधीन भारत की भावी राज–व्यवस्था की दृष्टि से यह प्रश्न विशिष्ट और निर्णायक महत्व का हो गया। अल्पसंख्यकों की समस्या भारत की ही तरह आस्ट्रिया, हंगरी आदि देशों के भी आधुनिक इतिहास में उदित हुई है और उन देशों में भी इसके समाधान की आवश्यकता पड़ी है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन सकी है। जजों, न्यायविदों और राजनीतिज्ञों के काफी प्रयासों के बावजूद ऐसा सम्भव नहीं हो सका। यहां तक कि 1948 के मानवाधिकार सम्बन्धी सार्वभौमिक घोषणा–पत्र में भी अल्पसंख्यकों की न कोई व्याख्या है और न ही इस सम्बन्ध में प्रावधान है। वस्तुतः इस घोषणा–पत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार सम्बन्धी कोई गारण्टी भी नहीं दी गई है।

मुख्य शब्द– अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, भारत में अल्पसंख्यकों, भारत में धर्म, मुस्लिम अल्पसंख्यक,

अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाला पहला अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तन्त्र 'नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा पत्र, 1966 (आई.सी.सी.पी.आर.)' है। इस सम्बन्ध में आई.सी.सी.पी.आर. की धारा 27 कहती है– 'ऐसे राज्यों में जहां जातीय, धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक मौजूद हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग अपने समुदाय के अन्य लोगों के साथ अपनी संस्कृति का आनन्द उठा सकते हैं। उनको अपने धार्मिक मूल्यों को मानने या अपनी भाषा का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता।' हालांकि, आई.सी.सी.पी.आर. भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र के 1992 के अल्पसंख्यक सम्बन्धी ऐतिहासिक घोषणा–पत्र में भी अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है।[1]

इधर भारतीय संविधान भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता। अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए अदालतों द्वारा कुछ निश्चित मापदण्ड या परीक्षण के सिद्धान्त विकसित किए गए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सन्दर्भ में संख्यात्मक परीक्षण को अपनाया। वर्ष 1958 में केरल शिक्षा बिल पर सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि जहां तक पूरे केरल राज्य में किसी कानून को लागू करने का सवाल है तो अल्पसंख्यकों का अस्तित्व राज्य की पूरी जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित होगा' और इस आधार पर ईसाई, मुसलमान और एंग्लो–इण्डियन निश्चित तौर पर केरल में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं।

इसके बाद डी.ए.वी. कॉलेज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस दावे को खारिज कर दिया कि भारत में हिन्दू बहुसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें पंजाब जैसे राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। इस मसले पर कोर्ट ने हिन्दुओं की श्रेणी निर्धारित करने के लिए राज्य को एक इकाई के तौर पर लिया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि 'हालांकि पंजाब में हिन्दू धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं, यद्यपि समूचे देश के सन्दर्भ में उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता।'[2]

वर्ष 2002 में 25 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच ने टी.एम.ए. पई के केस में अपने निर्णय के द्वारा अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को निर्धारित करने सम्बन्धी पूर्व के परीक्षणों को और पुख्ता करते हुए निर्णय दिया कि राज्य के कानून के हिसाब से धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों को निर्धारित करने

वाली इकाई सिर्फ राज्य ही हो सकती है। इसके बाद 12 अगस्त, 2005 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पी.ए. इनामदार के प्रकरण में दिए गए निर्णय में भी उसकी ऐसी ही राय रही। इस तरह देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 'चाहे धार्मिक अल्पसंख्यकों का मसला हो या भाषायी अल्पसंख्यकों का, इनका निर्धारण केवल राज्य की जनांकिकी के आधार पर होना चाहिए, न कि पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर इसे निर्धारित किया जाए।'

भारत का संविधान काफी विस्तृत है और इसके अनुच्छेद 29 व 30 में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है तथापि संविधान में अल्पसंख्यकों की परिभाषा नहीं दी गयी है।[3]

सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के रूप में 5 समुदायों अर्थात् मुस्लिमों, सिखों, ईसाईयों, बौद्धों तथा पारसियों को अधिसूचित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक समूहों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत रेखांकित की गयी है।

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करने वाले प्रावधान– भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के हितों को सुरक्षित रखने वाले अनेक प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया गया है और किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, मूलवंश आदि के आधार पर भेदभाव करना वर्जित ठहराया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। इसके अधीन **अन्तःकरण** की स्वतन्त्रता तथा किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और धार्मिक प्रचार की गारण्टी दी गयी है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबन्ध बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप से करने की गारण्टी दी गयी है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की उन्नति और प्रसार–प्रचार के लिए करों की वसूली पर छूट दी गयी है। अनुच्छेद 28 में सरकारी पैसे से चलने वाली शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित न होने की छूट दी गयी है।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। ये संवैधानिक व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं–

अनुच्छेद 29–(i) भारत के राज्य–क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है; उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। (ii) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न रखा जाएगा।

अनुच्छेद 30–(i) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। (ii) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।

इन प्रावधानों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों की समस्याओं से परिचित थे।

भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणियाँ–

भारत में अल्पसंख्यकों को मोटे रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

(i) धार्मिक अल्पसंख्यक और (ii) भाषायी अल्पसंख्यक। संसार के लगभग सभी देशों में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता दी गयी है। एक भाषायी अथवा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग का उद्देश्य सरकार से ऐसी सुविधाएं प्राप्त करना होता है जिनके द्वारा वह अपने धर्म तथा भाषा को सुरक्षित तथा जीवित रख सकें और उनका बहुमत के साथ विलयन न होने पाए।

भारत में धर्म पर आधारित अल्पसंख्यः–

भारत एक बहुधर्मी और बहुभाषी देश है। भारत में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्मों के लोग निवास करते हैं। भारतीय समाज का बहुमत हिन्दू धर्म का अनुयायी है। विभिन्न जनगणनाओं के अनुसार भारत में प्रमुख धर्मों के अनुयायियों की संख्या अग्र प्रकार है–

तालिका–1 भारतीय जनसंख्या एवं धार्मिक वर्ग(1961–1991)

धार्मिक वर्ग	1961		1971		1981		1991	
	संख्या (दस लाख)	कुल का प्रतिशत	संख्या (दस लाख)	कुल का प्रतिशत	संख्या (दस लाख)	कुल का प्रतिशत	संख्या (दस लाख)	कुल का प्रतिशत
हिन्दू	366.5	83.5	453.3	82.7	549.7	82.6	672.6	82.41
मुसलमान	46.9	10.7	61.4	11.2	75.6	11.4	95.2	11.67
ईसाई	10.7	2.4	14.2	2.6	16.2	2.4	18.9	2.32
सिक्ख	7.8	1.8	10.4	1.9	13.1	2.0	16.3	1.99
बौद्ध	3.2	0.7	3.8	0.7	4.7	0.7	6.3	0.77
जैन	2.0	0.5	2.6	0.5	3.2	0.5	3.4	0.41
अन्य[1]	1.6	0.4	2.2	0.4	2.8	0.4	3.5	0.43
कुल	439.2	100.0	548.2	100.0	665.3	100.0	816.2[2]	100.0

स्रोत– भारत की जनसंख्या, 1991

1. अवर्गीकृत व्यक्तियों सहित
2. इसमें असम तथा जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है।

तालिका–2 भारतीय जनसंख्या एवं धार्मिक वर्ग (जनगणना : 2001)

	हिन्दू	मुस्लिम	सिख	ईसाई	बौद्ध	जैन	अन्य
कुल जनसंख्या (लाख में)	827	138	19	24	7.9	4.2	6.6
कुल जनसंख्या का प्रतिशत	81.4	12.4	1.9	2.3	0.8	0.4	0.6
1991–2001 में वृद्धि दर	19.9	29.3	16.2	22.5	23.2	26	111.3
प्रतिशत जनसंख्या शहरों में	26	35	26.5	34	38	76	9.5
लिंग अनुपात (0–6 वर्ष)	925	950	786	964	942	870	976
प्रतिशत साक्षर जनसंख्या	65.1	59.1	69.4	80.3	72.7	94.1	47
प्रतिशत साक्षर महिलाएं	53.2	50.1	63.1	76.2	61.7	90.6	33.2
प्रतिशत काम करने वाली महिलाएँ	27.5	14.1	20.2	28.7	31.7	9.2	44.2

लिंग अनुपात 1,000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या है। इन आंकड़ों में जम्मू–कश्मीर के भी आंकड़े जो 1981 की जनगणना में नहीं थे।

तालिका संख्या 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि मुस्लिम, ईसाई और सिक्ख भारत के प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय हैं और उनकी समस्याओं का यहां विश्लेषण किया जाना उचित है।

मुस्लिम अल्पसंख्यकः–

अंग्रेजी शासन काल में चालीस करोड़ की आबादी में मुसलमानों की संख्या नौ करोड़ थी। ये हिन्दुस्तान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक थे। भारतीय मुसलमानों का पहला संगठित आन्दोलन बहावी आन्दोलन था। यह धर्म–सुधार आन्दोलन के रूप में हुआ, लेकिन बाद में इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तत्व भी आ मिले। यह ब्रिटेन विरोधी आन्दोलन के रूप में शुरू हुआ और बंगाल के मुसलमान किसानों में भी फैला, जिसके फलस्वरूप किसान विद्रोह हुए। सन् 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने हिन्दुओं की अपेक्षा प्रमुख रूप से अधिक भाग लिया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनकी उपेक्षा करने की नीति अपनायी। प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार के कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरूआत की। इससे अरबी और फारसी भाषाओं का महत्व घटा। सन् 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक विकास में मील का पत्थर है। 1906 में भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी। गाँधीजी के असहयोग आन्दोलन में पहली बार बहुत सारे हिन्दुओं और मुसलमानों ने भारत के लिए स्वशासन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए परस्पर सहयोग किया। सन् 1929 में जिन्ना ने अपनी मशहूर चौदह–सूत्री योजना प्रकाशित की जो बाद में लीग के प्रचार आन्दोलन का आधार हुई। 1940 के लाहौर के अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान की मांग की घोषणा की। दो राष्ट्रों का सिद्धान्त इस मांग का राजनीतिक–वैचारिक आधार था। इस सिद्धान्त के अनुसार मुसलमान एक विशिष्ट राष्ट्र थे, यद्यपि वस्तुतः वे एक सामाजिक–आर्थिक वर्ग के लोग थे जो सारे देश में बिखरे हुए थे।[4]

पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान निवास करते हैं। सन् 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 14.2 प्रतिशत मुसलमान है। स्वाधीन भारत में मुसलमानों को न केवल कानून द्वारा समान अधिकार और संरक्षण की गारण्टी प्राप्त है बल्कि वे देश के महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में सक्रिय और प्रमुख भाग ले रहे हैं। प्रमुख मुस्लिम नेताओं– स्व० डॉ० जाकिर हुसैन, स्व० श्री फखरूद्दीन अली अहमद एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। यह राष्ट्र द्वारा किसी भी नागरिक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। श्री हिदायतुल्ला उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुके हैं। श्री हिदायतुल्ला, श्री एम०एच० बेग और श्री अहमदी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुके हैं। अलीयावरजंग, अकबर अली खां, सादिक अली राज्यपाल पद पर एम०सी० छागला राजदूत पद पर, ए०आर० किदवई संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं। एयर चीफ मार्शल इदरिस हसन लतीफ, जो कि एक मुसलमान हैं, हमारी वायुसेना के अध्यक्ष थे। केन्द्र और राज्यों में अनेक मुस्लिम मंत्री, सांसद, विधायक और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। 1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृहमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। 1996 में गठित यूनाइटेड फ्रण्ट मंत्रिमण्डल में भी कई कैबिनेट स्तर के तथा राज्य मंत्री अल्पसंख्यक समुदायों से थे। तत्कालीन वाजपेयी मंत्रिमण्डल में शाहनवाज हुसैन कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इसके

उपरान्त भी भारतीय राजनीति में मुसलमानों की निम्नलिखित शिकायतें और समस्याएँ रही हैं–

(1) विधानमण्डल एवं प्रशासन में प्रतिनिधित्व से असन्तुष्टि– मुस्लिम सम्प्रदाय विधानमण्डल में अपने प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक सेवाओं में मुसलमानों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में असन्तुष्ट रहा है। देश की कुल जनसंख्या का 14.2 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों की है। कतिपय मुस्लिम संगठनों के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से 545 सदस्यों की लोकसभा में 62 स्थान पर मुस्लिम प्रतिनिधि होने चाहिए। किन्तु उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 5–6 प्रतिशत से भी कम रही है।

यह सच है कि सच्चर कमेटी के द्वारा मुसलमानों के बारे में सरकारी तौर पर जुटाए गए आंकड़े कई मायनों में भारतीय प्रजातन्त्र के सामने उभरती गंभीर चुनौतियों की ओर भी इशारा करते हैं। इनका तुरन्त समाधान नहीं किया गया तो देश के प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। जहां तक नौकरियों, शिक्षा और राजकीय सुविधाओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी का सवाल है, वह तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत के बीच है, जबकि वे देश की जनसंख्या का लगभग चौदह प्रतिशत है। विभिन्न राज्यों के न्यायालयों में मुसलमानों की उपस्थिति कितनी कम है, उसका अंदाजा तथ्यों को जानकर ही लगाया जा सकता है। दिल्ली में उनकी जनसंख्या 11.7 प्रतिशत है जबकि न्यायपालिका में उनकी संख्या 1.3 प्रतिशत है। असम में उनकी संख्या 30.9 प्रतिशत है, जबकि न्यायपालिका में वे 9.4 प्रतिशत हैं। पश्चिम बंगाल में जहां 25 वर्षों से कम्युनिस्टों का राज है और जहां मुसलमान 25.2 प्रतिशत हैं वहां न्यायपालिका में मुसलमानो की हिस्सेदीार केवल पांच प्रतिशत है। जम्मू–कश्मीर और आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर हर जगह यही सिलसिला है।

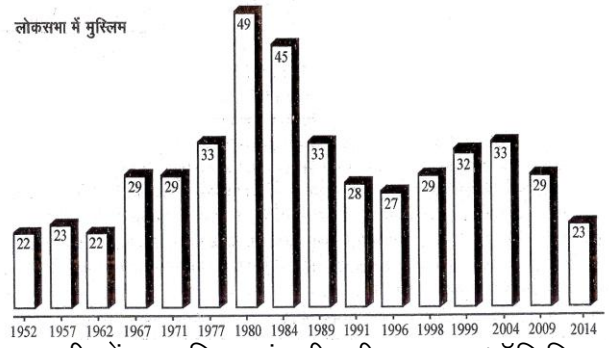

हाल ही में प्रकाशित अंसारी की पुस्तक 'पॉलिटिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन इण्डिया (1952–2004)', बताती है कि केरल को छोड़कर शेष भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में आजादी के बाद मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगातार गिरा है। भारत में मुसलमानों की आबादी 13–14 प्रतिशत तक है तथापि आंकड़े बताते हैं कि प्रशासन, पुलिस, न्याय और यहां तक कि निजी क्षेत्र में नौकरियों के मामले में उनकी भागीदारी 3 से 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। वर्ष 2015 के दौरान देश में 561 साम्प्रदायिक घटनाएँ हुईं, जिनमें 90 जानें गईं और 1688 घायल हुए।

(2) साम्प्रदायिक वारदातें– स्वाधीनता के बाद देश में समय–समय पर साम्प्रदायिक दंगे होते रहे हैं। इससे मुसलमानों में बहुमत समुदाय के विरूद्ध असुरक्षा की भावना विकसित हुई है। वर्ष 2006 के दौरान, देश में 698 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं जिनमें 133 जाने गईं और 2170 व्यक्ति घायल हुए, जबकि इससे पूर्व के वर्ष में देश में 779 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं जिनमें 124 व्यक्ति मारे गए थे और 2066 व्यक्ति घायल हुए थे।

(3) उर्दू भाषा का प्रश्न– मुसलमानों की ओर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का स्थान दिए जाने की मांग बार–बार की जाती है। कतिपय राजनीतिक दलों की ओर से यह प्रचार किया गया कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है जिससे उर्दू का सवाल एक साम्प्रदायिक सवाल बन गया। नौंवी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जब उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाए जाने का फैसला लिया गया तो बदायूं में दंगे हुए और दो दर्जन जानें गयीं।

(4) अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला– सन् 1965 में भारत सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संगठन और कार्य–प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया। बाद में इस अध्यादेश को एक विधेयक के रूप में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। मुसलमानों का कहना है कि इन परिवर्तनों का अर्थ विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को समाप्त करना था। विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखने की मांग की जाती रही है।

(5) मुस्लिम पर्सनल लॉ– संविधान के नीति निदेशक तत्वों में भारत के लिए एक ही सिविल कोड बनाए जाने के आदर्श का उल्लेख किया गया है। भारत सरकार समाज सुधार की दृष्टि से मुसलमानों के पर्सनल लॉ में कुछ परिवर्तन करना चाहती है। बहुविवाह, तलाक–पद्धति आदि के बारे में पर्सनल लॉ में कुछ परिवर्तन करने से ही मुस्लिम समुदाय का आधुनिकीकरण हो सकेगा। कट्टर मुसलमानों का कहना है कि उनका पर्सनल लॉ शरीयत पर आधारित है जिसमें परिवर्तन करना धर्म के प्रतिकूल है।

भारत में मुस्लिम वोटों की राजनीति– स्वतन्त्रता के बाद मुसलमानों का कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय

स्तर पर नहीं बन सका। दो प्रकार के मुस्लिम संगठनों ने राजनीति में भाग लिया– **प्रथम,** ऐसे संगठन जो शुद्ध राजनीतिक संगठन हैं; जैसे मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस आदि। **द्वितीय,** ऐसे संगठन जो मूलरूप से अराजनीतिक संगठन हैं; जैसे जमायते इस्लामी, मुशावरत, जमीअतुल उलमा आदि।

स्वाधीनता के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों में धर्मनिरपेक्ष दल के रूप में अपनी छवि बनायी। धर्म–निरपेक्षता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बावजूद भी कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को सीने से चिपकाए रखा जिसके कारण 1955 में जनसंघ पार्टी का उदय हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनसंघ के राजनीतिक आधार को मजबूत किया एवं फैलाया। इन दोनों संगठनों से खतरा महसूस करने के कारण मुसलमानों में यह भावना बलवती हुई कि केवल कांग्रेस ही उनकी रक्षक है। इससे मुस्लिम मतदाताओं ने चुनावों में उसे आंख बन्द कर समर्थन किया। 1952, 1957 एवं 1962 तक चुनावों में तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस अनेक कारणों से मुस्लिम समाज के अधिकांश वोट बटोरती रही, लेकिन 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन कम होने का झटका महसूस हुआ। साम्यवादी दलों के शुरू होते प्रभाव ने पढ़े–लिखे, प्रगतिशील मुसलमानों को आकर्षित किया। मुस्लिम दलों और संगठनों ने क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता किया। कांग्रेस में आन्तरिक खींचतान, आर्थिक नीतियों की आंशिक असफलता तथा कानून और व्यवस्था में गिरावट, आदि से आम जनता के साथ मुस्लिम मतदाताओं का भी कांग्रेस से विश्वास कम हुआ। इसकी भनक पाकर श्रीमती गांधी ने कुछ समय पश्चात् अलपसंख्यकों के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ–जनसंघ का हौवा खड़ा कर मुस्लिम समर्थन हासिल करने की बागडोर बड़े ही चतुर ढंग से संभालीं 1971 और 1972 के चुनावों में कांग्रेस की अद्‌भुत विजय में मुस्लिम मतों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 1975 में थोपे गए आपातकाल में जबरन नसबन्दी के कार्यक्रम से मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस से एकदम नाराज हो गया 1977 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम जैसे अनेक मुस्लिम नेताओं के कांग्रेस के विरूद्ध तथा नवगठित जनता पार्टी के पक्ष में खुल्लम–खुल्ला प्रचार से मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी ने आग में घी का काम किया। इस चुनाव में कांग्रेस की हार में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही।[5]

जनवरी 1980 के चुनाव में शाही इमाम की मांग थी कि लोकसभा, राज्यसभा तथा मंत्रिमण्डल में मुसलमानों को बीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिले व राज्यों में वहां की जनसंख्या के अनुसार उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। पुलिस एवं सेना में उनके बीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहे। मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए जनता पार्टी और कांग्रेस (इ) ने अपने–अपने चुनाव घोषणा–पत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए कई प्रावधान किए। कांग्रेस (इ) के चुनाव घोषणा–पत्र में कहा गया (i) अल्पसंख्यक आयोग को कांग्रेस मजबूत करेगी, (ii) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को सुनिश्चित किया जायेगा, (iii) अल्पसंख्यकों को विधि और व्यवसथा तथा रक्षा कार्मिक सहित सभी सरकारी सेवाओं में नौकरी के उचित अवसर दिए जाएंगे, (iv) उर्दू को उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा खास–खास क्षेत्रों में सरकारी राज–काज के व्यवहार के लिए दूसरी भाषा में उर्दू को मान्यता दी जाएगी।

जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की पराजय का एक कारण यह भी था कि उसे अधिसंख्यक मुस्लिम वोट नहीं मिले। मुसलमानों की जनता पार्टी के प्रति नाराजगी का मुख्य कारण उसके शासन के दौरान न तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान किया गया और न ही उर्दू को संवैधानिक संरक्षण। साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में वह असफल रही। ऐसी स्थिति में कांग्रेस (इ), लोकदल तथा समाजवादी गुट ने जनता पार्टी में आर.एस.एस. के वर्चस्व का हौवा खड़ा कर उसके मुस्लिम विरोधी होने की छवि बना दी।

नवम्बर 1989 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता दल की अभूतपूर्व सफलता का कारण उसे प्राप्त मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन भी एक बड़ा कारक रहा है। मुसलमान उत्तर प्रदेश के कम से कम 35 जिलों में कुल मतदाताओं का 17.2 फीसदी होने के कारण चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। संयोग से 'संवेदनशील क्षेत्र' मानी जाने वाली 32 लोकसभा और 135 विधानसभा सीटें मुसलमानों की रिहायश वाले बिजनौर, मुरादाबार, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर सरीखे 35 जिलों में पड़ती है। यह गणित इतना प्रभावी था कि तात्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने हड़बड़ी में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की घोषणा कर दी।

वर्ष 2005 में सम्पन्न बिहार विधानसभा चुनावों में दोनों बार (अप्रैल–मई 2005 और अक्टूबर–नवम्बर 2005) लोजपा नेता रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री का नारा दिया तो चुनाव आयोग को इस पैरवी के लिए पासवान को नोटिस जारी करना पड़ा।

ईंसाई भी भारत में अल्पसंख्यक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैण्ड की 90 प्रतिशत, मिरोरम की 87 प्रतिशत, मेघालय की 70.3 प्रतिशत, गोआ की 26 प्रतिशत तथा केरल की 19 प्रतिशत आबादी ईंसाई धर्म की अनुयायी है। ईंसाईयों का कोई राजनीतिक दल नहीं है। ईंसाईयों ने राजनीति की अपेक्षा सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में अपने को लगा रखा है। ईंसाई मिशनरियों के विरूद्ध कई बार हिन्दुओं की ओर से आवाज उठायी गयी है कि वे लालच अथवा बल के द्वारा हिन्दुओं को ईंसाई बना रहे हैं। हिन्दुओं को अपने धर्म से च्युत करने के लिए करोड़ों रूपया प्रतिवर्ष विदेशों से आने लगा। नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर इत्यादि क्षेत्रों में ईंसाईयों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में लोकसभा के सदस्य श्री ओमप्रकाश त्यागी ने 22 दिसम्बर, 1978 को लोकसभा में एक विधेयक 'धर्म स्वतन्त्र विधेयक' के नाम से रखा। विधेयक की धारा 3 के अन्तर्गत कहा गया कि 'कोई भी प्रत्यक्षतः या बलपूर्वक या उत्प्रेरण द्वारा या प्रवंचना द्वारा या किन्हीं कपटपूर्ण साधनों द्वारा एक धार्मिक विश्वास से दूसरे में परिवर्तित नहीं करेगा और न ही इस तरह के प्रयासों के लिए दुष्प्रेरणा देगा। यदि ऐसा करेगा तो ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष तक कारावास और तीन हजार रूपए तक जुर्माना हो सकेगा।' इस विधेयक के विरूद्ध ईंसाई समाज के विरोध को देखते हुए यह विधेयक पारित नहीं किया गया।

सरकार ने सच्चर समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं, इनमें कुछ प्रमुख फैसले इस प्रकार है–

(i) पहचान किए गए मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक आबादी वाले 338 कस्बों और शहरों में नागरिक सुविधाओं और आर्थिक अवसरों में खामियों को दूर करने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे।

(ii) एक अंतर–मंत्रालयी दल मुस्लिम समुदायों में कौशल तथा उद्यमिता के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाएगा और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। यह कार्यदल अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को आसान ऋण सुनिश्चित कराने के लिए भी कार्य योजना बनाएगा।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी और ज्यादा शाखाएं खोलेंगे, बैंक और वित्तीय संस्थान अल्पसंख्यकों, खासकर महिलाओं में लघु वित्त पोषण को बढ़ावा देंगे।

(iv) मुस्लिम बालिकाओं के लिए अपर प्राइमरी स्कूलों की पहुंच का विशेष रूप से विस्तार किया जाएगा और मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में जहां जरूरी होगा वहां छात्राओं के लिए खासतौर पर और अधिक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए छात्रावास खोलन के लिए अतिरिक्त आबंटन किया जाएगा।

(v) शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम बहुल खण्डों में मध्याहन् भोजन स्कीम का विशेष रूप से विस्तार किया जाएगा। मदरसा क्वालिफिकेशन को समकक्ष दर्जा देने के प्रश्न का समाधान ढूंढा जाएगा, ताकि मदरसों में पढ़े छात्र आगे चलकर उच्च शिक्षा में दाखिला ले सकें।

(vi) एक राष्ट्रीय डाटा बैंक (एन.डी.बी.) और एक स्वायत्तशासी मूल्यांकन तथा निगरानी प्राधिकरण (ए.एम.ए.) का गठन किया जाएगा।यह अर्जित आकडों का विश्लेषण करेगा और सरकार को निरन्तर उचित नीतियों के बारे में सुझाव देता रहेगा।

सन्दर्भ–

1. भारत की जनगणना, 2011, पृ.सं. 29
2. वार्षिक रिपोर्ट, 1991–92, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ.सं. 30–33
3. वार्षिक रिपोर्ट, 2001–02, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, पृ.सं. 37
4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, (इ.) चुनाव घोषणा पत्र, 1980
5. Riggs Prigmatic Societies and Public Administration : Administrative Change, Vol. 1, No. 2, 1973, pp. 18-24.